

नगर निगम भिलाई द्वारा महत्वपूर्ण लोकेशन के 50 भूखण्ड नीलामी द्वारा आबंटित किये जायेगे

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा महत्वपूर्ण लोकेशन का भूखण्ड नीलामी के माध्यम से आबंटित किये जायेगे। पूर्व साड़ा वर्तमान नगर निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत विभिन्न लोकेशन पर प्लाट आबंटन के लिए उपलब्ध है। जिसे शासन से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार भूखण्डों की नीलामी करके अधिकतम बोली दाता को प्लाट आबंटित किये जायेंगे। नगर निगम भिलाई के वेबसाईट पर नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग से अनुमोदित चिह्नित मानचित्र के अनुसार 50 भूखण्ड नीलामी हेतु उपलब्ध है। प्रमुख रूप से नगर निगम भिलाई के जोन-01 नेहरू नगर में मोतीलाल नेहरू नगर पूर्व के 10 भूखण्ड, दक्षिण गंगोत्री व्यावसायिक योजना के 10 भूखण्ड, प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम व्यावसायिक योजना के 4 भूखण्ड हैं। इसी तारतम्य में जोन-02 वैशाली नगर के जवाहर नगर आवासीय योजना के 6 भूखण्ड एवं जोन-03 मदर टेरेसा नगर आवासीय योजना के 7 भूखण्ड तथा जोन-04 शिवाजी नगर आवासीय योजना के 13 भूखण्ड उपलब्ध हैं। इस प्रकार कुल 50 भूखण्डों के संबंध में जानकारी नगर निगम के वेबसाईट [जीजचेरुधमचतवब.बहेजंजम.हवअ.पद](#) पर अपलोड कर दिया गया है। भूखण्ड खरीदने वाले इच्छुक व्यक्ति संबंधित पोर्टल पर अपने पसंद का प्लाट चयन कर सकते हैं। भूखण्ड के संबंध में अधिक जानकारी की किस प्लाट के लिए, कितनी अमानत राशि जमा करके नीलामी में सहभागी बना जा सकता है, उसका उल्लेख है। भूखण्ड के वास्तविक लोकेशन के बारे में जानकारी जोन के राजस्व अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है, कि सभी भूखण्ड पूर्णतः रिक्त हैं, जारी किये गये नक्शे के अनुरूप हैं। आबंटन की प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत अमानत के रूप में जमा करना अनिवार्य है। उसके बाद नीलामी में भागीदार बना जा सकता है। अधिकतम बोली दाता को भूखण्ड आबंटित किया जायेगा। निर्धारित तिथि के अंदर प्रक्रिया में शामिल होना अनिवार्य है। आबंटन कि प्रक्रिया पश्चात नियमानुसार आबंटिती को भूस्वामीत्व प्रदान किया जायेगा।

